

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०:- 117 / 2021

इस कार्यालय के पत्रांक KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20 दिनांक 12.10.2020 एवं मरेप्र(का०)/पूर्व रेलवे/हावड़ा मंडल के पत्र सं० E/4/TRS/3/Transfer/ALP(E)/Pl.-IX दिनांक- 06.11.2020 द्वारा श्री सैकत मंडल, पुत्र अजित मंडल, सलोपा (वि.) लेवल-02 अधीन मुख्य कू नियंत्रक/संयुक्त लॉबी/बरौनी, सोनपुर मंडल एवं श्री जयनाथ प्रसाद पुत्र श्री कैदार प्रसाद महतो, सलोपा(वि.) लेवल-02 अधीन मु.कू.नियंत्रक/पूरे/वर्धमान, हावड़ा मंडल/पूर्व रेलवे के साथ सलोपा लेवल-02 में निम्नतम वरीयता पर अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनो मंडल की सहमति प्राप्त है।

अतः श्री सैकत मंडल पुत्र श्री अजित मंडल, सलोपा(वि.)/बरौनी को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे हावड़ा मंडल विरमित किया जा सके। पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

01. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामले से मुक्त होना चाहिये।
02. नियमानुसार दोनो कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीज़ी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
04. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्त पर वमविइ(टीआरओ) महोदय का आदेश प्राप्त है।

(विजय इंजीनियर)

सकाधि- III

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

सं०:- KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 15.02.2021

01. मरेप्र(का०)/पूर्व रेलवे/हावड़ा
02. वमविइ/टीआरओ/सोनपुर।
03. मुख्य कू नियंत्रक/संयुक्त लॉबी/बरौनी- उक्त कर्मचारी को 03.07.2020 से अब तक का अवकाश विवरण के साथ विरमित करे।
04. मुख्य कार्याधी/बिल/बरौनी।
05. संबंधित अभ्यर्थी।
06. अभिलेख प्रति।
07. कार्यालय आदेश प्रति।
08. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओवीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर